प्रयास मैन्टली चैलेन्जड चिल्ड्रन स्कूल, सिरसा

दूकान की बोली के नियम व शर्तें

1 बोलीदाताओं को बोली आरम्भ करने से पहले मु0 25,000/- रूपये (पच्चीस हजार रू0 मात्र) **का बैंक ड्राफ्ट** धरोहर के रूप में इस कार्यालय में जमा करवाना होगा तथा असफल बोलीदाता को मौके पर ही धरोहर राशि वापिस कर दी जावेगी। दूकान की बोली दिनांक **28.03.2017** को प्रातः **10.00 बजे बाल भवन सिरसा** में होगी।

2 दुकान की मासिक लाईसैंस फीस मु0 2700/- रू0(दो हजार सात सौ रू0 मात्र) होगी।

3 बोली सबसे अधिक सिक्योरिटी देने वाले के नाम छोड़ी जावेगी । रिफन्डेबल सिक्योरिटी की न्यूनतम बोली मु0 50,000/- रू0 (पचास हजार रू0 मात्र) से शुरू की जावेगी। सम्बन्धित दूकान सबसे अधिक सिक्योरिटी की बोली देने वाले को दी जावेगी परन्तु जमा सिक्योरिटी राशि पर कोई ब्याज प्रयास मैन्टली चेलेन्जड़ चिल्ड्रन स्कूल, द्वारा नहीं दिया जायेगा। अगर सफल बोलीदाता सिक्यारिटी राशि जमा करवाने में असमर्थ रहता है तो दूसरे नम्बर पर बोली देने वाले को दुकान लाईसैन्स डीड पर दी जायेगी।

4 सफल बोलीदाता द्वारा बोली से पूर्व जमा करवाई गई 25,000/- रू0 की सिक्यारिटी राशि के अतिरिक्त राशि, बोली की तिथि से 15 दिन के अन्दर-अन्दर जमा करवानी अनिवार्य होगी।

5 बोलीदाता द्वारा दी गई बोली का अन्तिम निर्णय उपायुक्त एवं प्रधान, जिला बाल कल्याण परिषद्, सिरसा को स्वीकृति उपरान्त ही मान्य होगा।

6 सफल बोलीदाता को दूकान का कब्जा लेने से पहले एक लाईसैंस डीड सम्पन्न कराना होगा । जिसका समस्त हर्जा-खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।

7 जिला बाल कल्याण परिषद्, सिरसा बिना कोई कारण बताए बोली की तिथि व स्थान बदलने व रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

8 किसी भी प्रकार के विवाद में उपायुक्त एवं प्रधान, जिला बाल कल्याण परिषद्, सिरसा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

9 दूकान की लाईसैंस डीड की अवधि तीन वर्ष की होगी।

10 लाईसैंस फीस में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ौतरी की जावेगी।

11 जो बोलीदाता दूकान को लाईसैंस फीस पर लेने के बाद बोली की समस्त राशि कार्यालय में 15 दिन के अन्दर जमा नहीं करवाता तो उस बोलीदाता द्वारा धरोहर के रूप में जमा करवाई गई समस्त राशि मु0 25,000/-रूपये जब्त कर ली जायेगी।

12 प्रत्येक सफल बोलीदाता को दूकान की मासिक फीस प्रत्येक माह की सात तारीख तक स्वयं जमा करवानी होगी। देरी की सूरत में मु0 10/-रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त फीस अदा करनी होगी ।

13 प्रत्येक सफल बोलीदाता को केवल दूकान के धरातल वाले हिस्से का सहमति पत्र लाईसैंस डीड किया जावेगा। दूकान के ऊपर तथा अन्य हिस्से पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। जिला बाल कल्याण परिषद सिरसा दुकान की छत पर प्रथम मंजिल के निर्माण कार्य करने में स्वतंत्र होगी इस पर दुकानदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

14 किसी सफल बोलीदाता को अपनी दूकान किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।

Principal
PRAYAS Mentally Chellenged
Children School
Distt. Council for Child Welfare
SIRSA (Haryana)

Distt. Child Welfare Officer
SIRSA (Haryana)

15 किसी सफल बोलीदाता को दूकान में अपने स्तर पर कोई तोड़-फोड़ बदलाव अथवा निर्माण के अतिरिक्त किसी अनुचित अथवा अवैतनिक कार्य/व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा।

16 प्रत्येक सफल बोलीदाता को अपने कारोबार के पंजीकरण की सूचना कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी तथा दुकान सहमति पत्र लाईसैंस डीड पर लेने से पूर्व अपने स्थाई रिहायशी प्रमाण-पत्र के सबूत के कागजात कार्यालय में जमा करवाने अनिवार्य होंगे।

17 प्रत्येक सफल बोलीदाता को बिजली का कनैक्शन अपने स्तर पर अपने नाम से लेकर स्वयं भुगतान करेगा तथा दूकान के खोलने व बन्द करने के समस्त नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

18 प्रत्येक सफल बोलीदाता को सहमति/अनुमति पत्र लाईसैंस डीड की अवधि समाप्त होने के पश्चात दूकान को सही हालत में प्रयास मैन्टली चैलेन्जड़ चिल्ड्रन स्कूल को सुर्पुद करवायेगा

19 प्रत्येक सफल बोलीदाता को भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार के सभी टैक्स तथा बिजली अथवा किसी अन्य प्रकार के बिलों का भुगतान स्वयं करना अनिवार्य होगा।

Principal
PRAYAS Mentally Chellenged
Children School
Distt. Council for Child Welfare
SIRSA (Haryana)

Distt. Child Welfare Officer
SIRSA (Haryana)